

## ढयायालय उपखण्ड अधिकाारी चौहटन जिला बाडमेर

राजरख आवेदन सं. 363/2023

पीठारीन अधिकाारी - श्री सुरजभान विश्वाी, आर.उ.उस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भूर.अ.

अनवान

प्रार्थी -

1.मिश्री पुत्र वली

जाति मुसलमान, निवासी सरुपे का तला  
तहसील धनाऊ, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण -

1.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेडवा (वर्तमान धनाऊ)

अधिवक्तागण -

प्रार्थी :-

श्री हासम खान

विप्रार्थीगण :-



निर्णय

दिनाक - 28 03 2024

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काशत का खेत तहसील धनाऊ के मौजा सरुपे का तला में खसरा सं. 770/333 रकबा 40 00 बीघा का आया हुआ है, जिसका मूल खसरा सं. 335/5 था, उक्त मूल खसरे का विभाजन होकर अलग तरमीम की गई। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता वली पुत्र मुकीम को दिनाक 15 01 1970 को आवंटन हुई थी। जिसका नियमन आदेश मय नक्शा सलंगन है, इसी अनुसार प्रार्थी की ढाणियां, टांके, चारावाडे इत्यादि बने हुए है। मौके पर इसी तरमीम के अनुसार कब्जा काशत है।

मूल खसरा सं. 333/5 में से प्रशासन गांवों के संग अभियान में तरमीम के वक्त मौके पर कब्जे काशत ढाणी से भिन्न पटवारी हल्का एवं भू-निरीक्षक द्वारा मौका देखे बिना नक्शे में गलत तरमीम कर दी। जिसे दुरस्त करवाने का प्रार्थी हकदार है, जिसे सुधारने के लिये आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।



उपखण्ड अधिकाारी  
चौहटन

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को रजिनोटिस जारी किया गया। तहसीलदार धनाऊ से रिपोर्ट तलब की गई, जो प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता श्री शाकर खान एच उपस्थित हुए। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंगन दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ के मौजा सरूपे का तला के खसरा सं 770/333 रकबा 40.00 बीघा की तरमीम तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त तथ्यात्मक जाच रिपोर्ट अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त रिपोर्ट निर्णय का अनिवार्य अंग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।



(सूजरमान विश्‍नोई )  
उपखण्ड अधिकारी

सूजरमान  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर

## कार्यालय तहसीलदार धनाऊ जिला-बाड़मेर

क्रमांक/राजस्व/2023/906

दिनांक 20.9.2023

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सेड़वा

विषय- राजस्व आवेदन संख्या 272/2023 अनवान मिश्री बनाम तहसीलदार धनाऊ धारा  
131.136 आर.एल.आर.एक्ट में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत  
प्रसंग- श्रीमान का पत्रांक/रीडर/2023/1410 दिनांक 01.08.2023 के सदमे मे  
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्ग एवं प्रसंगिक उनवान के सदमे में निवेदन है कि प्रार्थीगण की  
खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 770/333 रकबा 40 बीघा किरम बा.सो. की लट्ठा ट्रेस में पूर्व  
की गई तरमीम को दुरस्त करवाने बाबत निवेदन किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा  
तहसीलदार धनाऊ को कमीशनर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट चाहने पर साक्ष्य सबूत सहित मौक एवं  
रेकॉर्ड की जांच निम्नानुसार है।-

1. उक्त प्रकरण में दिनांक 22.8.2023 को हल्का पटवारी के साथ स्वमं ने मौका मुआयना  
किया गया मौजा सरूपे का तला के खेत खसरा नम्बर 770/333 रकबा 40 बीघा भूमि  
पर प्रार्थी मिश्री वल्द वली का कब्जा मय आवारीय ढाणी एवं मौके पर आशिकं भाग पर  
बाजरा ग्वार की काश्त होना पाया गया खसरा नम्बर 770/333 के दक्षिण भाग में प्रार्थी  
का कब्जा काश्त है।
2. इसी खेत के पड़ोसियान खसरा नम्बर 909/782 के खातेदार अनोपा पुत्र धना व ग्राम के  
मौजिज लोगो ने बताया की इसी आराजी पर प्रार्थी का कशीबन 50 वर्षों से वक्त आवंटन  
से कब्जा काश्त है मौके पर पुरानी आवारीय ढाणी बनी हुई है जिसमें प्रार्थी का परिवार  
सहित निवास है।
3. राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया की खसरा नम्बर 829/333 रकबा 40 बीघा  
की वर्तमान में प्रार्थी मिश्री वल्द वली कौम मुरालमान की खातेदारी दर्ज है जिसका मौका  
देखने पर पाया की उक्त भूमि मौके पर खाली है एवं प्रार्थी का इस आराजी पर कब्जा  
नहीं है जानकारी करने पर ज्ञात हुआ की वर्तमान में दर्ज खातेदारी भूमि पर प्रार्थी का  
कभी कब्जा नहीं रहा है।
4. मौका एवं राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रार्थी मिश्री वल्द वली  
का वर्तमान में कब्जा मौजा सरूपे का तला के खेत खसरा नम्बर 770/333 में है एवं  
प्रार्थी के कब्जा अनुसार इसी खसरा नम्बरान की आराजी की खातेदारी दर्ज किया जाना  
है।

अतः खसरा नम्बर 829/333 के स्थान पर खसरा नम्बर 770/333 में रकबा 40  
बीघा की तरमीम दुरस्ती किया जाना प्रस्तावित है।

वाछित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

सलग्न-मूल मौका फर्द एवं राजस्व रेकॉर्ड की प्रतिलिपि कुल कागजात 8

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा  
प्राप्ति क्रमांक 337  
दिनांक 04/10/2023  
ई-मेल

तहसीलदार धनाऊ